भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 213
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2017/24 अग्रहायण, 1939 (शक) को दिया जाना है)

एयर इण्डिया का ऋण

213. डॉ. उदित राजः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार एयर इण्डिया के ऋण को रखने और उसके तुलनपत्र को ठीक करने के लिए एक विशिष्ट प्रयोजन साधन (एसपीवी) सृजित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या ऐसे एसपीवी को बनाने से एक विरोधाभासी परिस्थिति होगी जहां निकायों के स्थान पर ऋण सरकार द्वारा अदा किया जाएगा, जो उन निकायों द्वारा व्यय किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क) और (ख): आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में एयर इंडिया और इसकी पांच सहायक इकाइयों के रणनीतिक विनिवेश पर विचार करने के लिए 'सिद्धांततः' अनुमोदन प्रदान किया था। इसने इसके रणनीतिक विनिवेश संबंधी प्रक्रिया के मार्गदर्शन हेतु एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (एआईएसएएम) के गठन का भी निर्णय लिया था।

एआईएसएएम ने इसकी चार सहायक इकाइयों के साथ किसी आस्ति, गौण आस्तियों, एयर इंडिया लिमिटेड की चित्रकारिता और शिल्पकृति तथा अन्य कार्यचालन से भिन्न आस्तियों द्वारा असमर्थित भांडागार संचयी कार्यशील पूंजी ऋण के लिए एक विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के सृजन का निर्णय लिया था।

*****